1+X| = 14

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां

क्रमांकः–एफ 4( )( )राजस्व/2020/2141 दिनांकः– 07.07.2021

निमित्तः–
अधीक्षण अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
वृत बारां

विषयः–हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब में आने वाले ग्राम करवरीकला, करवारीखुर्द एवं मौजा हथियादेह की पुनर्वास कार्य योजना एवं योजना मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रसंगः–आपका पत्र कमांक/जस/वृत/2021/254 दिनांक 17.06.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रानुसार हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब में आने वाले ग्राम करवरीकलां, करवरीखुर्द एवं मौजा हथियादेह की पुर्नवास कार्य योजना एवं योजना मानचित्र के संबंध में दिनांक 15.03.2021 को आयोजित बैठक में कमेटी द्वारा मानचित्र में आवश्यक संशोधन सहित अनुमोदन हेतु निर्णय लिया गया था।

इसी कम में प्रासंगिक पत्र के साथ पुनर्वास की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने से पूर्व पुनर्वास योजना प्लान एवं मानचित्र का अनुमोदन पश्चात हस्ताक्षर हेतु प्राप्त हुआ था। जो की अनुमोदन एवं हस्ताक्षर उपरांत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर
बारां

कार्या. अ.अ.ज.स.वृत बारां
स्था. / तक. / लेखा / केश / स्टोर / प्र.अ. / सि. अभि. — 486 — 8/7/21

Copy to EE III

Tech/2021/871 Dt. 29-7-2021
Copy forwarded to EEWR-Div-III Baran for Information and N/A.

अधिशाषी अभियंता एवं प्राव० सहा०
अधीक्षण अभियंता जल संसाधन बारां

पता : मिनी सचिवालय, बारां (325205)
Ph. No.: (07453) 237001, 237003 (Fax) 237005
E-mail ID : dm-brn-rj@nic.in
admbaran@gmail.com

E:\Daulat nagar\allotment\20- Land Aquisition.doc

A/c Hatiyadeh Technical Keep copy in Section also

2771 / 02/08

2

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना प्लान–जिला बारां

परियोजना परिचय :– हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना हथियादेह नाले पर ग्राम करवरीकंलॉ, तहसील किशनगंज, जिला बारां में प्रस्तावित है। बांध स्थल की बारां से दूरी 50 कि.मी. व अक्षांश व देशान्तर $25^{0}15'49''$ एवं $76^{0}42'18''$ है।

परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जल संसाधन विभाग जयपुर के आदेश कमांक F.3(12)AS/I/Cell/96/XVII/143rd SLEC meeting/600 Dated 28.08.2018 द्वारा राशि रूपये 40884.00 लाख की जारी की जा चुकी है।

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में 286.50 हेक्टेयर वनभूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्रकरण MOEF नई दिल्ली में विचाराधीन है।

बांध की कुल भराव क्षमता 46.97 एम.क्यू.एम. एवं उपयोगी भराव क्षमता 42.97 एम.क्यू.एम. है जो कि परियोजना के 8979 हेक्टर क्षेत्र को सिंचित करेगी।

परियोजना के तकनीकी पहलू :–

1	बांध की कुल लम्बाई	6370 मीटर (6277 मीटर मिट्टी का बांध एवं 93 मीटर गेटेड ओगी स्पीलवे)
2	रेडियल गेटों की संख्या	6 नम्बर (11.5 मीटर X 10.97 मीटर)
3	दांयी मुख्य नहर की लम्बाई	19.32 कि.मी.
4	बांयी मुख्य नहर की लम्बाई	12.96 कि.मी

बांध निर्माण कार्य :–

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण का कार्य मैसर्स गुरूदीप सिंह चण्डी एण्ड़ कम्पनी एवं स्वास्तिक लिफ्ट एण्ड़ शिफ्ट प्राईवेट लिमिटेड़, (जे.वी.), कोटा को कार्यादेश राशि रू. 61.75 करोड़ का दिनांक 05.10.2018 को जारी किया जा चुका है। कार्यादेश अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 15.10.2018 व पूर्ण करने की तिथि 14.10.2021 नियत है। संवेदक द्वारा बांध निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

सिंचाई लाभ :–

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना 42.97 एम.क्यू.एम. जल सिंचाई हेतु आरक्षित है। परियोजना के कमाण्ड़ क्षेत्र का सृजन एक ही चरण में किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना में सिंचाई जल का उपयोग फव्वारा पद्वति से सिंचाई सुविधा प्रदान करना प्रस्तावित है। परियोजना में जिला बारां की तहसील किशनगंज में 49 ग्रामों की कुल 8979 हेक्टर भूमि में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जावेगा।

भूमि अवाप्ति : परियोजना के पूर्ण डूब क्षेत्र में प्रभावित बारां जिले की किशनगंज तहसील के दो ग्रामों के निजी भूमि अवाप्ति हेतु अवार्ड राशि 111.00 करोड़ का जारी हो चुका है एवं भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

परियोजना पर व्यय :– परियोजना पर अब तक कुल 504.14 लाख का व्यय हो चुका है।

लाभान्वित ग्राम :– परियोजना के पूर्ण होने पर किशनगंज तहसील के निम्नांकित 46 गावों की 8979 हैक्टर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

1. दुगेर	11. लक्ष्मीपुरा	21. बृजनगर	31. पाली	41. कुन्जी
2. फतेहपुरा	12. असनावर	22. भवानीपुरा	32. महतापुरा	42. चन्द्रपुरा
3. देवपुरा	13. गोपालपुरा	23. पीपल्दाकलां	33. बड़ौदा	43. कालपुरा
4. मायथा	14. श्रीपुरा	24. पीपल्दाखुर्द	34. निमोदा	44. धोलपुरा
5. मेघपुरा	15. गोविन्दपुरा	25. सेवनी	35. करवरी खुर्द	45. दौलतपुरा
6. जेतपुरा	16. थाना	26. लोडक्या	36. गोरधनपुरा	46. करीरिया
7. रामगढ़	17. किशनपुरा	27. अर्जुनपुरा	37. खण्डेलाखेड़ी	
8. बिरमपुरा	18. उदयपुरा	28. गुवेडिया	38. सुंवास	
9. जगदीशपुरा	19. माधोपुरा	29. तगारिया थानी	39. पीपलखेड़ी	
10.लहरूनी	20. चक लखिया	30. बिसलाई	40. बलून	

मुआवजा :– डूब में आनी वाली भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियों का मुआवजा भूमि अवाप्ति के नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को भूमि, पेड़, मकानों एवं अन्य परिसम्पत्तियों का मुआवजा निम्नप्रकार देना प्रस्तावित है।

1. **कृषि भूमि** :– परियोजना के डूब में आने वाले दो गांवो की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति का मुआवजा सम्बन्धित गांव की विभिन्न प्रकार की भूमि की डी.एल.सी. दर के अनुसार तथा भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार घोषित गुणांक के आधार पर मुआवजा की गणना की जावेगी तथा 100 प्रतिशत सोलेशियम चार्ज का भुगतान किया जावेगा। उक्त मुआवजे के अतिरिक्त धारा 11 की घोषणा की दिनांक से अवार्ड बनाने की दिनांक तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष (अधिकतम 36 माह के लिए) अतिरिक्त राशि दी जावेगी। उक्त गणनाऐं भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची के अनुसार की जावेगी तथा सरकारी भूमि का कोई मुआवजा नही दिया जावेगा।
2. **अन्य सम्पत्तियॉं** :–

   (ए) मकान :– परियोजना के डूब में आने वाले बारां जिले की तहसील किशनगंज के दो गांवों के मकानों के मुआवजे की गणना मकान के वास्तविक माप एवं प्रचलित बी.एस.आर. की दर अनुसार की जावेगी। अन्य सोलेशियम एवं अतिरिक्त राशि की गणना भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

   (बी) कुऐं :– परियेाजना के डूब में आने वाले बारां जिले की तहसील किशनगंज के दो गांवों के निजी कृषि भूमि पर स्थित कुओं के मुआवजे की गणना कुएं के वास्तविक माप एंवं प्रचलित बी.एस. आर. की दर अनुसार की जावेगी। अन्य सोलेशियम एवं अतिरिक्त राशि की गणना भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

   (सी) पेड़ :– परियेाजना के डूब में आने वाले बारां जिले की तहसील किशनगंज के दो गांवों के निजी कृषि भूमि पर स्थित पेड़ों के मुआवजे की गणना पेड़ों के वास्तविक माप एवं प्रचलित बी.एस. आर. की दर अनुसार की जावेगी। अन्य सोलेशियम एवं अतिरिक्त राशि की गणना भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बारां जिले की तहसील किशनगंज के दो ग्रामों करवरीखुर्द एवं करवरीकलॉ व मजरा हथियादेह की आबादी प्रभावित हो रही है।

परियोजना के डूब प्रभावित आबादी क्षेत्र का नवीन भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 तथा नियम 2016 के अनुसार पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है, जिसके लिए यह पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार की गई है। प्रभावित आबादी क्षेत्र का पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 एवं नियम 2016 के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार प्रभावित परिवार का विस्तृत सर्वे, गणना आदि उक्त आबादी भूमि के अधिग्रहण हेतु नियम 2013 की धारा–11 के प्रकाशन तिथि को प्रभावित परिवार आंकलन हेतु अन्तिम तिथि मानी जाकर विस्तृत सर्वे, गणना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना की धारा–11 की अधिसूचना दिनांक 15.07.2020 को जारी हो चुकी है। जिसके अनुसार प्रभावित मकान तथा अनुमानित परिवारों की संख्या का आकंलन निम्नानुसार है।

जिला बारां तहसील किशनगंज

क.स.	आबादी प्रभावित ग्राम का नाम	मकानों की संख्या		प्रभावित परिवारों की अनुमानित संख्या
	पूर्ण डूब प्रभावित			
1	करवरीकलॉ व मजरा हथियादेह	398	सूची परिशिष्ठ –1	398
2	करवरीखुर्द	370	सूची परिशिष्ठ –2	370
	कुल योग	**768**		**768**

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु भूमि की उपलब्धता :–

इन गांवों की पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील किशनगंज के ग्राम पंचायत सुंवास में कुल 22 हेक्टर भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है।

(एम.के. गोयल)
अधिषाशी अभियन्ता,
जल संसाधन खण्ड तृतीय बारां

(गौरव कुमार मित्तल)
प्रशासक
हथियादह मध्यम सिंचाई परियोजना
बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (जिला –बारां) :–

भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 में वर्णित अनुसूचीवार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना निम्नानुसार है :–

पहली अनुसूची

भू–स्वामियों के लिए प्रतिकर

(Compensation for Land Owner)

क.स.	**अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि की बाबत प्रतिकर पैकेज के संघटक**	**मूल्य अवधारण की रीति**	**मूल्य अवधारण की तारीख**
1	भूमि का बाजार मूल्य	धारा–26 में उपबन्धित रूप में अवधारण किया जाएगा।	अधिनियम की धारा–11 की दिनांक को प्रचलित क्षेत्र की डी.एल.सी. दरों के आधार पर।
2	ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में वे कारक, जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है।	शहरी क्षेत्र में परियोजना की दूरी के आधार पर, जो समुचित सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए, 1.00 (एक) से 2.00 (दो)	2.00 राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार
3	नगरीय क्षेत्रों की दशा में, वे कारक, जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है।	1.00 (एक)	लागू नही।
4	भूमि या निर्माण से जुड़ी आस्तियों का मूल्य	1.00 (एक)	अधिनियम की धारा–11 की दिनांक को क्षेत्र में प्रचलित विभागीय दर अनुसूची के आधार पर
5	तोषण	कम संख्या 1 के सामने वर्णित भूमि के बाजार मूल्य के शत प्रतिशत के समतुल्य जिसे ग्रामीणों के लिए कम संख्यांक 2 या नगरीय क्षेत्रों के लिए कम संख्यांक 3 के सामने विनिर्दिष्ट कारक, द्वारा गुणित किया जाएगा और स्तम्भ (2) के अधीन कम संख्यांक 4 के सामने भूमि या भवन से जुड़ी आस्तियों का मूल्य।	आईटम नं. 2 व 4 का 100 प्रतिशत।
6	ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तिम अधिनिर्णय	कम संख्या 1 के सामने वर्णित भूमि के बाजार मूल्य जिसे कम संख्यांक 3 के सामने विनिर्दिष्ट कारक से गुणित किया जाएगा और स्तम्भ (2) के अधीन कम संख्यांक 4 के सामने वर्णित भूमि या भवन से जुड़ी आस्तियों का मूल्य और स्तम्भ (2) के अधीन कम संख्यांक 5 के सामने वर्णित तोषण।	अधिनियम में निर्धारित रीति के अनुसार ही अधिनिर्णय पारित किये गये है/किये जाऐंगें।

7	शहरी क्षेत्रों में अन्तिम अधिनिर्णय	कम संख्या 1 के सामनें वर्णित भूमि के बाजार मूल्य जिसे कम संख्यांक 3 के सामने विनिर्दिष्ट कारक से गुणित किया जाएगा और स्तम्भ (2) के अधीन कम संख्यांक 4 के सामनें वर्णित भूमि या भवन से जुड़ी आस्तियों का मूल्य और स्तम्भ (2) के अधीन कम संख्यांक 5 के सामने वर्णित तोषण।	लागू नही।
8	सम्मिलित किये जाने वाले अन्य संघटक, यदि कोई हों	–	–

(एम.के. गोयल)
अधिशाशी अभियन्ता,
जल संसाधन खण्ड तृतीय बारां

(गौरव कुमार मित्तल)
प्रशासक
हथियादह मध्यम सिंचाई परियोजना
बारां

C.S.

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना

दूसरी अनुसूची

पहली सूची के उपबन्ध के अतिरिक्त सभी प्रभावित कुटुम्बों (भू–स्वामियों और ऐसे कुटुम्बों जिनकी जीविका मुख्यता अर्जित भूमि पर निर्भर है, दोनो) के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव

(Elements of Rehabilitation and Resettlement Entitlements as per the Second Schedule of Land Acquisition Act-2013)

क्र. स.	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव	हकदारी / उपबन्ध	क्या उपलब्ध कराया गया है या नही (यदि उपलब्ध कराया गया है, जो ब्यौरा दे)
1	2	3	4
1	विस्थापन की दशा में मकान इकाईयों की व्यवस्था	1. यदि ग्रामीणो क्षेत्रों में किसी मकान से वंचित किया जाता है तो इन्दिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा। यदि शहरी क्षेत्र में किसी मकान से वंचित किया जाता है तो एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नही होगा। 2. ऊपर सुचीबद्ध फायदो को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्ब को, वो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्र की अधिूचना की तारीख के पुर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, भी विस्तारित किया जाएगा, परन्तु शहरी क्षेत्रो में ऐसा कोई कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, मकान निर्माण के लिए एक बार वित्तीय सहायता जो 1.50 लाख रूपये से कम नही होगा प्राप्त करेगा। परन्तु यह और कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई प्रभावित कुटुम्ब ऐसा चाहे तो निर्मित मकान के बदले, मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा : परन्तु यह और कि अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब के इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन एक से अधिक मकान नही दिया जाएगा। <u>स्पष्टीकरण</u> – शहरी क्षेत्रों में मकान यदि आवश्यक हो, बहुमंजिली भवन प्रक्षेत्र में उपलब्ध कराया जा सकेगा।	01.01.2014 से नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं इसके नियमों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में में इन्द्रा आवास योजना के विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध करावाने का प्रावधान है, जबकि जिला स्तरीय बैठक दिनांक 10.12.2017 में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रभावित परिवारों को 30' x 60' का प्लॉट दिया जाना तय किया गया है। अंतः प्रत्येक प्रभावित परिवार को 30' x 60' का प्लॉट तथा इन्द्रा आवास की लागत राशि रू. 1.50 लाख में से 117 वर्गमीटर भूखण्ड की लागत (आवंटित 30' x 60' का प्लाट अर्थात 167 वर्गमीटर में से इन्द्रा आवास 50 वर्गमीटर कम करके) कम करके भुगतान किया जाएगा।
2	भूमि के लिए भूमि	सिंचाई परियोजना की दशा में, जहां तक सम्भव हो तथा अर्जित भूमि के लिए संदत किये जाने वाले प्रतिकर के बदले में, प्रभावित क्षेत्र के कृषि भूमि का स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक कुटुम्ब और जिसकी भूमि	लागू नही।

		अर्जित की गई है या खो गई है या जो भूमि के अर्जन या हानि के परिणामस्वरूप सीमान्त कृषक या भूमिहिन की प्रास्थिति में आ गया है, को प्रभावित कुटुम्ब को सम्भान्धित अधिकारों के अभिलेखो मे सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति के नाम से उस परियोजना जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, के प्रभाव क्षेत्र में न्यूनतम एक एकड भूमि आवंटित की जाएगी : परन्तु प्रत्येक ऐसी परियोजना में, उन व्यक्तियों को जो अपनी भूमि से वंचित हो रहे है और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के है, अर्जित क्षेत्र के समतुल्य या ढाई एकड भूमि, जो भी कम हो, उपलब्ध कराई जाएगी।	
3	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	यदि भूमि को शहरीकरण के प्रायोजनों के लिए अर्जित किया जाता है, तो विकसित भूमि का 20 प्रतिशत भाग आरक्षित रखा जाएगा और उसकी भूमि अर्जन परियोजना से प्रभावित कुटुम्बों को उनकी अर्जित भूमि के क्षेत्र के अनुपात में और अर्जन की लागत तथा विकास के खर्च के बराबर कीमत पर प्रस्थापना की जाएगी। : परन्तु यह और कि यदि परियोजना से प्रभावित कुटुम्ब इस प्रस्थापना का लाभ उठाना चाहता है तो जो भूमि अर्जन प्रतिकर के पैकेज उसे सन्देय है उसमें से सतुल्य राशि की कटोती की जाएगी।	लागू नही।
4	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुम्बों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबन्ध किया गया है : (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में उपबन्धित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबन्ध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे ही कार्य की जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना : या (ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रूपये एक ही बार में संदाय : या (ग) वार्षिकी नितियां जो कृषिक श्रमिको के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के अनुसार 20 वर्ष तक प्रति कुटुम्ब दो हजार रूपये अन्यून प्रति मास संदत की जाएगी।	प्रति प्रभावित परिवार जो विस्थापित किया जाएगा, को निम्न विकल्प में से एक विकल्प चुनने का अधिकार होगा। (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, 'जो तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में उपबन्धित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबन्ध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे ही कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाये, व्यवस्था किया जाना : या (ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रूपये एक ही बार में संदाय : या

			(ग) वार्षिकी नितियॉं जो कृषिक श्रमिको के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के अनुसार 20 वर्ष तक प्रति कुटुम्ब दो हजार रूपये अन्यून प्रति मास संदत्त की जाएगी।
5	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन – निर्वाह अनुदान	ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रू0 के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इस रकम के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र से विस्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पचास हजार रू0 के समतुल्य रकम प्राप्त करेगी। अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापन के मामलों में यथा सम्भव, प्रभावित कुटुम्बों को वैसे ही पारिस्थितिक क्षेत्र मे पुनर्वासित किया जाएगा जिससे जनजातिय समुदायों के आर्थिक अवसरों, भाषा, संस्कृति और सामुदायिक जीवन को परिरक्षित रखा जा सकेगा।	प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक वर्ष की अवधि के लिए तीन हजार रू. प्रति माह जीवन निर्वाह भत्ता प्रस्तावित है। **परियोजना क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र सम्मिलित नही है। अतः अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति परिवार को रू. 50 (पचास) हजार की अतिरिक्त राशि का भुगतान प्रस्तावित नही है।**
6	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुम्ब, भवन सामग्री, घरेलु सामग्री और पशुओं के स्थानान्तरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार 50 हजार रू0 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।	प्रभावित परिवार को भवन सामग्री, घरेलु सामग्री और पशुओं के स्थानान्तरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार 50 हजार रू0 की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
7	पशुबाडा / छोटी दुकान खर्च	पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता यथास्थिति, पशुबाडा या छोटी दुकान के निर्माण के लिए न्यूनतम 25 हजार रू0 के अधीन रहते हुए एक बार वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा, जो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।	प्रभावित होने वाले ऐसे परिवार जो पशु या छोटी दुकान विस्थापन से पूर्व रखते है, उन्हे पशुबाडा या छोटी दुकान के निर्माण के लिए 25 हजार रू. की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
8	कारीगरों, छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान	किसी कारीगरों छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर–कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम 25 हजार रू0 के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।	प्रभावित होने वाले कारीगरो, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित परिवार जो विस्थापन से पूर्व गैर–कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा रखते है, उन्हे 25 हजार रू0 एक बार वित्तीय सहायता

			प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
9	मछली पकडने का अधिकार	सिंचाई या जल परियोजना के मामलों में प्रभावित कुटुम्बों को जलाशय में मछली पकडने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।	राज्य सरकार द्वारा नियम अनुसार पात्र परिवार को जलाशय में मछली पकडने के अधिकार दिया जाना प्रस्तावित है।
10	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को केवल 50 हजार रू0 का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।	प्रभावित होने वाले परिवार को 50 हजार रू0 का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाना प्रस्तावित है।
11	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रकरण फीस	1. प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए सदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षित निकाय द्वारा किया जाएगा। 2. प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी। 3. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुम्ब की पत्नी और पति दोनो के सयुक्त नाम में हो सकेगा।	प्रभावित होने वाले परिवार को निःशुल्क आवासीय भू–खण्ड दिया जाना प्रस्तावित होने से स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रकरण फीस नही लिया जाना प्रस्तावित है।

(एम.के. गोयल)
अधिषाशी अभियन्ता,
जल संसाधन खण्ड तृतीय बारां

(गौरव कुमार मित्तल)
प्रशासक
हथियादह मध्यम सिंचाई परियोजना
बारां

जिला कलक्टर
बाराँ (राज.)

तृतीय अनुसूची

अवसंरचानात्मक सुविधाओं का उपबन्ध

(Provision of Infrastructural Amenities)

क्र. स.	भूमि के अभिग्राहक द्वारा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रस्तावित अवसंरचानात्मक सुविधाओं के संघटक	भूमि के अभिग्राहक द्वारा उपलब्ध कराई गई अवसंरचानात्मक सुविधाओं के ब्योरें
1	2	3
1	सभी पुनर्व्यस्थापित कुटुम्बो के लिए पुनर्व्यस्थापित ग्रामों के भीतर सडक और पक्की सडक, मार्ग से जुडी बारहमासी सडक और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।	पुनर्वास कॉलोनी को विद्यमान सडक तंत्र से पक्की सडक के माध्यम से जोडा जाएगा और कॉलोनी में भीतरी पक्की सडक का निर्माण कराया जाएगा, तथा बारहमासी सडक और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जावेगी।
2	वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाऐं निष्पादित की जाए।	वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले पुनर्वास कॉलोनी में उचित निकासी और स्वच्छता योजना निष्पादित की जायेगी।
3	भारत सरकार द्वारा विहित मानको के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।	भारत सरकार द्वारा विहित मानको के अनुसार पुनर्वास कॉलोनी मे पेयजल के लिए पर्याप्त मात्रा में पेयजल स्त्रोत हेण्डपम्प व ट्यूबवेल की व्यवस्था की जायेगी।
4	पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।	पुनर्वास कॉलोनी मे पशुओं के पेयजल के लिए पर्याप्त मात्रा में पेयजल की व्यवस्था की जायेगी।
5	राज्य में स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह।	इस हेतु राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।
6	उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या	उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध कराई जावेगी।
7	यथोचित, पंचायत घर।	यथोचित पंचायत घरों हेतु पर्याप्त जगह करवायी जावेगी। ताकि संबंधित विभाग आवश्यकता अनुरूप/नियमानुसार इसका निर्माण कर सकेगा। इस हेतु उचित बजट का प्रावधान लिया गया है।
8	बचत खाता खोलने की सुविधा के साथ यथोचित, ग्राम स्तर डाकघर।	यथोचित डाकघरों हेतु पर्याप्त जगह करवायी जावेगी। ताकि संबंधित विभाग आवश्यकता अनुरूप/नियमानुसार इसका निर्माण कर सकेगा। इस हेतु उचित बजट का प्रावधान लिया गया है।
9	समुचित बीज सह उर्वरक भंडारण, यदि आवश्यक हो।	स्थान आरक्षित
10	पुनर्व्यवस्थापित कुटुम्बों को आवंटित कृषि भूमि के लिए मूलभूत सिंचाई सुविधाऐं यदि सिंचाई परियोजना उपलब्ध न हो तो सहकारिता का विकास करके या किसी सहकारी स्कीम या विशेष सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाए।	लागू नहीं।
11	विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशो से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाऐं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।	डूब क्षेत्र के प्रभावित 2 ग्रामों के परिवारों के लिए पुनर्वास कॉलोनियों का विकास किया जायेगा एवं उनके समीप ही परिवहन सुविधा हेतु स्थान आरक्षित कर सक्षम कार्यालय को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया जावेगा।
12	जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार	जाति समुदायो और उनकी प्रथाओं के आधार पर

	पर कब्रिस्तानया शवदाह गृह।	कब्रिस्तान या शवदाह गृह हेतु भूमि उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी तथा बाउण्ड्रीवाल हेतु बजट प्रावधान लिया गया है।
13	स्वच्छता की सुविधाएं जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु ।	उपलब्ध कराई जायेगी।
14	प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर परम्परागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)।	प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।
15	शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाडी।	पुनर्वास कॉलोनी में आवश्यकतानुसार आंगनबाड़ी का निर्माण कराया जायेगा।
16	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के उपबन्धो के अनुसार विद्यालय।	अधिनियम अनुसार पुनर्वास कॉलोनी में विद्यालय भवन का निर्माण कराया जायेगा।
17	दो किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र।	अधिनियम अनुसार पुनर्वास कॉलोनी में आवश्यकतानुसार उप स्थास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया जायेगा तथा दो किलोमीटर के क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र सुनिश्चित किया जावेगा।
18	भारत सकरार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।	अधिनियम अनुसार पुनर्वास कॉलोनी में आवश्यकतानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया जायेगा।
19	बच्चों के लिए कीडा क्षेत्र।	पुनर्वास कॉलोनी में बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थल के लिए जगह उपलब्ध कराई जायेगी।
20	प्रत्येक 100 कुटुम्बों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र।	पुनर्वास कॉलोनी में सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जायेगा। प्रत्येक पुनर्वास कॉलोनी में सामुदायिक भवनों का इस तरह से निर्माण कराया जाएगा, कि विस्थापित परिवारों को पुनर्वास कॉलोनी में पर्याप्त सामुदायिक भवन उपलबध हो सके।
21	प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक 50 कुटुम्बो के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा।	पुनर्वास कॉलोनी में धार्मिक कार्य के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक पुनर्वास कॉलोनी में पूजा स्थल के लिए जगह इस तरह उपलब्ध करायी जायेगी, कि परिवारों को पुनर्वास कॉलोनी में पर्याप्त पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा उपलब्ध हो सके।
22	परम्परागत जनजातिय संस्थाओं के लिए अलग भूमि चिन्हित की जाए।	आवश्यक नही।
23	वन में रहने वाले कुटुम्बों को जहा संभव हो गैर–काष्ठ वनोत्पाद और सामान्य सम्पत्ति संसाधन यदि व्यवस्थापन के नए स्थान के समीप उपलब्ध हो, पर उनके वन्य अधिकार उपलब्ध कराएं जाएं और यदि ऐसा कोई कुटुम्ब ऐसे वन या बेदखली के स्थान के नजदीकी क्षेत्र के सामान्य सम्पत्ति में अपनी पहुच या प्रवेश जारी रख सकता है, तो वह आजिविका के पूर्वोक्त संसाधनो के अपने पूर्व अधिकारो का उपभोग जारी रख सकेंगे।	राज्य सरकार के नियमानुसार व्यवस्था उपलब्ध होगी।
24	व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, यदि आवश्यक हो।	व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराई जाऐगी।
25	मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।	मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र उपलब्ध कराये जायेगें।

अधिशाषी अभियन्ता
जलसंसाधन [illegible] बारॉं

प्रशासक (इ.जि.प्रा.प.प.सि.परि.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारॉं (राज.)

जिला कलक्टर
बारॉं (राज.)

HATHIADEH MEDIUM IRRIGATION PROJECT ,DISTRICT-BARAN,TEHSIL-KISHANGANJ

Statementy showing provision of rehabilitation Measures for oustees at Village-Sunwas, G.P.-Sunwas,Tehsil-Kishanganj,District-Baran

S.No.	Item	Amount (Lacs)
1	*2*	*3*
1	Roads within the resetted villages and an all-weather road link to the nearest pucca road, passage and easement rights for all the resetted families be adequately arranged.	150.00
2	Proper drainage as well as sanitation plans executed before physical resettlement.	20.00
3	One or more assured sources of safe drinking water for each family as per the norms prescribed by the Government of India.	10.00
4	Provision of drinking water for cattle:	-
5	Grazing land as per proportion, acceptable in the State.	-
6	A reasonable number of Fair Price Shops.	20.00
7	Panchayat Ghars, as appropriate.	10.00
8	Village level Post Offices, as appropriate, with facilities for opening saving accounts.	-
9	Appropriate seed-cum -fertilizer storage facility if needed.	-
10	Efforts must be made to provide basic irrigation facilities to the agriculture land allocated to the resettled families if not from the irrigation project, then by developing a cooperative or under some Government scheme or special assistance.	-
11	All new villages established for resettlement of the displaced persons shall be provided with suitable transport facility which must include public transport facilities through local bus services with the nearby growth centres/urban localities.	-
12	Burial or cremation ground, depending on the caste- communities at the site and their practices.	10.00
13	Facilities for sanitation, including individual toilet points.	20.00
14	Individual single electric connections (or connection through non-conventional sources of energy like solar energy), for each household and for public lighting.	10.00
15	Anganwadi's providing child and mother supplemental nutritional services.	10.00
16	School as per the provisions of the Rigth of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009);	10.00
17	Sub-health centre within two kilometres range.	5.00
18	Primary health centre as prescribed by the Government of India.	-

19	Playground for children.	5.00
20	One cummunity centre for every hundred families.(4x10=40)	40.00
21	Place of worship and chowpal/tree platform for every fifty families for community assembly, of numbers and dimensions consonant with the affected area.(8x5=40)	40.00
22	Separate land must be earmarked for traditional tribal institutions.	-
23	The forest dweller families must be provided, where possible, with their forest right on non-timber forest produce and common property resources, if available close to the new place of settlement and, in case any such family can continue their access or entry to such forest or common property in the area close to the place of eviction, they must continue to enjoy their rights to the aforesaid sources of livelihood.	-
24	Appropriate security arragements must be provided for the settlement, if needed.	-
25	Veterinary service centre as per norms.	-
	Total	**360.00**
		Lakh

(एम.के. गोयल)
अधिषाशी अभियन्ता,
जल संसाधन खण्ड तृतीय बारां

C.S.

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

(गौरव कुमार मित्तल)
प्रशासक
हथियादह मध्यम सिंचाई परियोजना
बारां

1(अ)

राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

[illegible] / 2019 /

दिनांक

घोषणा

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हथियादेह [illegible] सिंचाई परियोजना के एम.डब्ल्यू.एल. में आने वाले विस्थापित परिवारो हेतु अवाप्ति किया जाना आवश्यक है। यह घोषणा की जाती है कि निम्नांकित वर्णित भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

यह घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 के प्रावधानुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जिनका इससे सम्बन्ध हो, जारी की जाती है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी (जल संसाधन) वृत, बांरा / (उपखण्ड अधिकारी) किशनगंज को कथित भूमि की अवाप्ति के निमित्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी (जल संसाधन) वृत, बांरा / (उपखण्ड अधिकारी) किशनगंज तथा अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, तृतीय बांरा के कार्यालय में किया जा सकता है। विवरण सलग्न सूची के अनुसार।

सलग्न:–सूची।

आज्ञा से,
ह०
(जितेन्द्र दीक्षित)
उप सचिव एवं प्रावै. सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक 05 / भू0अ0 / ज0सं0 / 2019 / 2561–2569 दिनांक 03.02.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवेश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग, कोटा।
2– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री / अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ ऑन लाईन प्रेषित करने हेतु।
3– ~~अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, तृतीय बांरा को निम्नलिखित कार्यवाही बाबत प्रेषित है:–~~
(क) इस विज्ञप्ति को जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से कम से कम दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करे।
(ख) इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।
To 4– भूमि अवाप्ति अधिकारी (जल संसाधन) वृत, बांरा / (उपखण्ड अधिकारी) किशनगंज को प्रेषित कर लेख है कि घोषणा का सारांश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(जितेन्द्र दीक्षित)
उप सचिव एवं प्रावै. सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

P.C.A

(पी. सी. मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय बारॉं